Introduction to Constitution
(संविधान का परिचय)

Join SelectionWay GS Channel | Join SelectionWay GS Channel
Shubham Gupta Sir

संविधान का परिचय

1. संविधान
2. सरकार के अंग
3. संविधान का वर्गीकरण
4. लोकतंत्र
5. विभिन्न शासन प्रणालियां
6. भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं
7. भारत में संघवाद
8. 12 अनुसूचियां

संविधान

- **संविधान→** → किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन हेतु निर्मित मूलभूत कानूनों का समुच्चय
- **उद्देश्य→** सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करना
- **संविधानवाद→** सरकार की शक्तियाँ असीमित नहीं होतीं, बल्कि वह देश के सर्वोच्च कानून (संविधान) द्वारा सीमित और नियंत्रित होती है।

सरकार के अंग

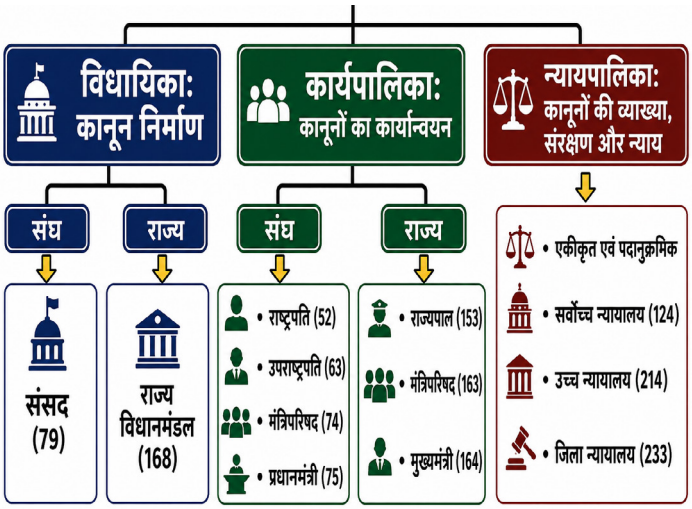

- *शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत (Separation of Powers) → फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू*

संविधान का वर्गीकरण

लिखित

- किसी विशिष्ट निकाय द्वारा निर्मित संहिताबद्ध दस्तावेज
- उदाहरण
  - USA = विश्व का सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान (निर्माण : 1787, लागू: 1789, 7 अनुच्छेद)।
  - मोनाको = शब्दों की संख्या के आधार पर सबसे छोटा संविधान
  - भारत = विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत लिखित संविधान (395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ)।
  - मेइजी (जापान) = एशिया का सबसे पुराना आधुनिक संविधान (1889)

अलिखित

- परंपराओं, कानूनों और निर्णयों पर आधारित
- यह प्रकृति में अधिक लचीला (flexible) होता है।
- उदाहरण :
  - ब्रिटेन
  - न्यूजीलैंड
  - इज़राइल
  - सऊदी अरब (Saudi Arabia)

- 15 जून 1215: मैग्ना कार्टा
  - इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा हस्ताक्षरित 'मैग्ना कार्टा' ब्रिटेन के अलिखित संविधान का प्रमुख आधार माना जाता है।

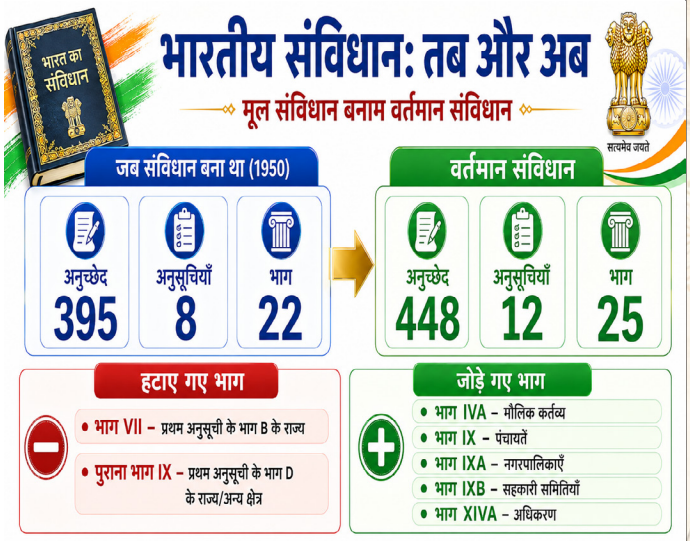

लोकतंत्र

- एक ऐसी शासन प्रणाली, जिसमे सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है।
- ▶ लिंकन: "जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन "

प्रकार

- ▶ **प्रत्यक्ष** (स्विट्जरलैण्ड)
  - जनमत संग्रह
  - पहल
  - वापस बुलाने का अधिकार
  - जनमत सर्वेक्षण
- ▶ **अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि**
  - अत्याधिक प्रचलित
  - भारत, USA, UK आदि

विभिन्न शासन प्रणालियां

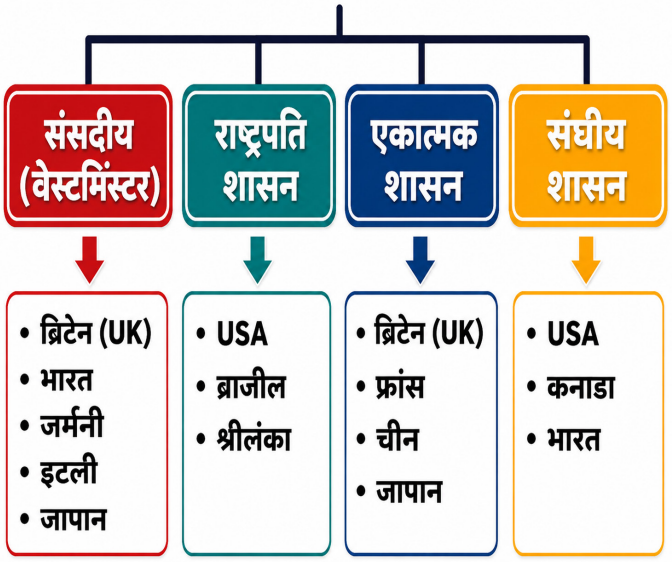

शासन प्रणाली	परिभाषा	उदाहरण
संसदीय	इस प्रणाली में कार्यपालिका (सरकार) अपनी वैधता विधायिका (संसद) से प्राप्त करती है और उसी के प्रति जवाबदेह होती है। इसमें सरकार का प्रमुख (प्रधानमंत्री) और राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति या राजा) अलग-अलग होते हैं।	• ब्रिटेन (UK) • भारत • जर्मनी • इटली • जापान
अध्यक्षीय	इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक-दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। इसमें राष्ट्रपति सीधे चुना जाता है और वही राज्य तथा सरकार दोनों का वास्तविक प्रमुख होता है।	• USA • ब्राज़ील • श्रीलंका
एकात्मक	इस प्रणाली में शासन की संपूर्ण शक्ति एक ही केंद्रीय सरकार के हाथों में केंद्रित होती है।	• ब्रिटेन • फ्रांस • चीन • जापान
संघीय	इस प्रणाली में सत्ता का स्पष्ट विभाजन एक केंद्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच संविधान द्वारा किया जाता है।	• USA • कनाडा • भारत

भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं

- विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान
- विभिन्न स्रोतों से ग्रहण किया गया
- लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण
- एकात्मक झुकाव वाली संघीय व्यवस्था
- संसदीय शासन प्रणाली
- संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन
- एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका
- मौलिक अधिकार
- राज्य के नीति-निदेशक तत्व
- मौलिक कर्तव्य
- धर्मनिरपेक्ष राज्य
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
- एकल नागरिकता
- आपातकालीन प्रावधान
- त्रि-स्तरीय शासन व्यवस्था
- सहकारी समितियाँ

भारत में संघवाद

- संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन एक केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न घटक इकाइयों, जैसे राज्यों या प्रांतों के बीच होता है।"
- अनुच्छेद 1 → भारत, अर्थात् भारत, राज्यों का संघ होगा

संघीय प्रावधान	*एकात्मक प्रावधान*
➤ द्वैध सरकार	➤ सशक्त केंद्र : अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास
➤ शक्तियों का विभाजन	➤ एकल नागरिकता
➤ लिखित और सर्वोच्च संविधान	➤ एकल संविधान
➤ स्वतंत्र न्यायपालिका	➤ एकीकृत न्यायपालिका
➤ द्विसदनीय व्यवस्था	➤ आपातकालीन प्रावधान
➤ संविधान की कठोरता	➤ संविधान का लचीलापन
➤ राज्यों की स्वायत्तता	➤ राज्यपाल की नियुक्ति और अखिल भारतीय सेवाएँ

जुंटा शासन

- 'जुंटा' का अर्थ है "सैन्य सरकार"।
- यह एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहाँ किसी देश की सत्ता पर सेना के अधिकारियों का एक समूह कब्जा कर लेता है और जबरन शासन चलाता है।
- यह किसी एक तानाशाह का शासन होने के बजाय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का एक समूह (Committee) होता है।
- वर्तमान में म्यांमार इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है

भारतीय संविधान : 12 अनुसूचियां

- भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां
- आज कुल 12 अनुसूचियां

अनुसूची	*संविधान संशोधन*	*वर्ष*	*विषय / उद्देश्य*
9वीं अनुसूची	➤ पहला संविधान संशोधन	1951	➤ भूमि सुधार कानूनों आदि को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए।
10वीं अनुसूची	➤ 52वाँ संविधान संशोधन	1985	➤ दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित।
11वीं अनुसूची	➤ 73वाँ संविधान संशोधन	1992	➤ पंचायती राज से संबंधित 29 विषय।
12वीं अनुसूची	➤ 74वाँ संविधान संशोधन	1992	➤ नगरपालिकाओं से संबंधित 18 विषय।

भारतीय संविधान : 12 अनुसूचियां

पहली अनुसूची (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	➤ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सीमाएं तथा न्यायिक क्षेत्र ➤ राज्यों के निर्माण व सीमा परिवर्तन के समय संशोधित	अनुच्छेद 1 & 4

बेरुबारी यूनियन केस (1960)

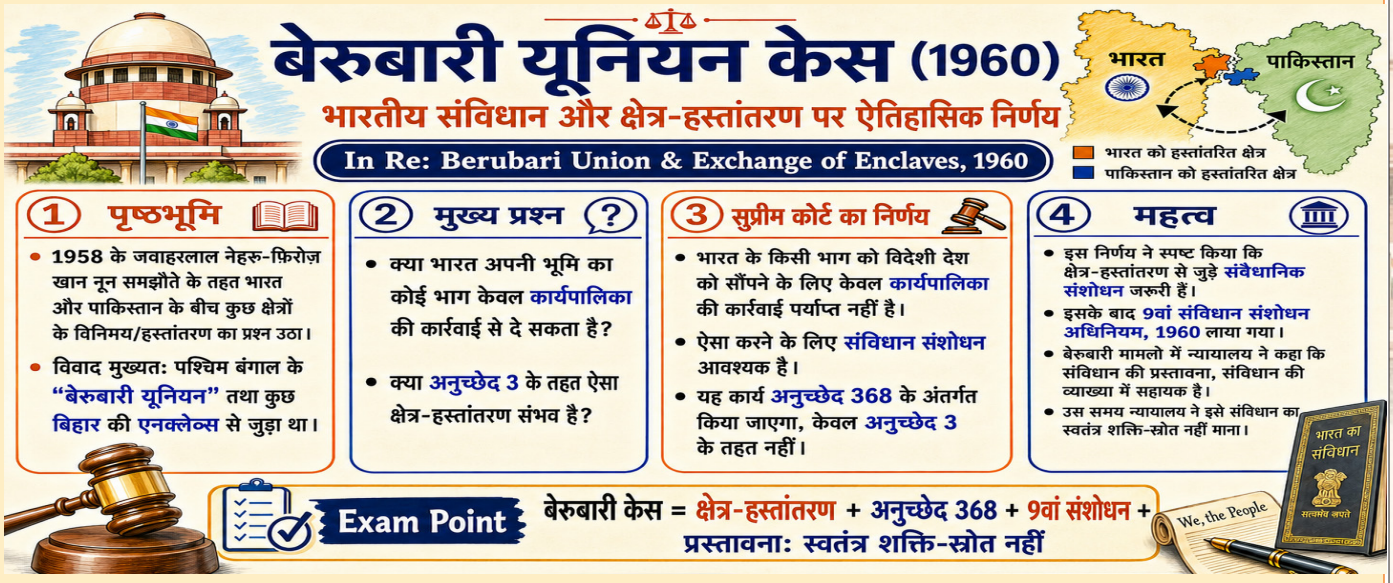

दूसरी अनुसूची (राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के वेतन-भत्ते)	➤ भारत के राष्ट्रपति ➤ राज्यों के राज्यपाल ➤ लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ➤ राज्यसभा के सभापति और उपसभापति ➤ राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ➤ राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति ➤ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ➤ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश ➤ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)	अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 & 221
तीसरी अनुसूची (शपथ और प्रतिज्ञान)	➤ संघ (केंद्र) के मंत्री ➤ संसद के चुनाव हेतु उम्मीदवार ➤ संसद के सदस्य ➤ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ➤ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ➤ राज्यों के मंत्री ➤ राज्य विधानमंडल के चुनाव हेतु उम्मीदवार ➤ राज्य विधानमंडल के सदस्य ➤ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश	अनुच्छेद 75(4), 84, 99, 124(6), 148(2), 164(3), 173, 188, और 219

❖ महत्वपूर्ण अपवाद (Exclusions) --- राष्ट्रपति (अनुच्छेद 60) + उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 69) + राज्यपाल (अनुच्छेद 159)

विशेषता	शपथ	प्रतिज्ञान
आधार	यह ईश्वर या किसी सर्वोच्च शक्ति पर आधारित होती है। व्यक्ति ईश्वर को साक्षी मानकर वचन देता है।	यह व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा, नैतिकता और सत्यनिष्ठा पर आधारित होता है।
शब्दावली	इसकी शुरूआत "मैं ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूँ..." से होती है।	इसकी शुरूआत "मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ..." से होती है।
किसके लिए	यह मुख्य रूप से आस्तिक लोगों के लिए है, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं।	यह नास्तिकों, अनीश्वरवादियों या उन लोगों के लिए है, जिनकी धार्मिक मान्यताएँ उन्हें शपथ लेने की अनुमति नहीं देतीं।
प्रकृति	इसका स्वरूप धार्मिक होता है।	इसका स्वरूप धर्मनिरपेक्ष होता है।

चौथी अनुसूची (राज्यसभा में सीटों का आवंटन)	➤ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या	अनुच्छेद 4(1) & 80(2)
❖ सर्वाधिक राज्यसभा सीटें वाले राज्य = उत्तर प्रदेश (31 सीटें) → महाराष्ट्र (19 सीटें) → तमिलनाडु (18 सीटें)		
पाँचवीं अनुसूची (अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन)	➤ अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण ➤ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर	अनुच्छेद 244(1)
❖ जनजातीय सलाहकार परिषद (Tribal Advisory Council - TAC)		
छठी अनुसूची (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन)	➤ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए स्वायत्त जिला परिषद (ADC) और क्षेत्रीय परिषद का गठन। ➤ ADC की शक्ति के निलंबन या विघटन का अंतिम अधिकार राज्यपाल के पास होता है।	अनुच्छेद 244(2) & 275(1)
सातवीं अनुसूची **(संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ)**	➤ शक्तियों का विभाजन (तीन सूचियां) ➤ संघ सूची (Union List) → मूल 97 विषय (वर्तमान में 100)। ➤ राज्य सूची (State List) → मूल 66 विषय (वर्तमान में 61)। ➤ समवर्ती सूची (Concurrent List) → मूल 47 विषय (वर्तमान में **52**)।	अनुच्छेद 246

संघ सूची (सूची I)	
1	रक्षा
2	विदेश मामले
3	मुद्रा और सिक्का
4	बैंकिंग और बीमा
5	रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और जलमार्ग
6	परमाणु ऊर्जा
7	जनगणना
8	नागरिकता
9	डाक और तार / दूरसंचार
10	युद्ध और शांति

राज्य सूची (सूची II)	
1	लोक व्यवस्था
2	पुलिस
3	लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता
4	कृषि
5	स्थानीय सरकार (पंचायतें और नगरपालिकाएँ)
6	कारागार
7	राज्य के लोक सेवाएँ
8	मद्यपान द्रव्य / नशीले पदार्थ
9	भूमि और भूमि राजस्व
10	बाज़ार और मेले

समवर्ती सूची (सूची III)	
1	शिक्षा
2	वन
3	विवाह और तलाक
4	दंड प्रक्रिया और आपराधिक कानून
5	जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण
6	व्यापार संघ
7	आर्थिक और सामाजिक नियोजन
8	विद्युत
9	जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन
10	समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय

❖ प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स (1947) → 'सार और तत्व का सिद्धांत' (Doctrine of Pith and Substance)

42वाँ संविधान संशोधन, 1976

'मिनी संविधान'

राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए

राज्य सूची » शिक्षा | वन | वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण | बाट और माप | न्याय प्रशासन » समवर्ती सूची

सातवीं अनुसूची का आधार एवं संसद की राज्य सूची पर विधायी शक्ति

1. सातवीं अनुसूची का आधार

- अनुच्छेद 246 (1) – संघ सूची (Union List)
- अनुच्छेद 246 (2) – समवर्ती सूची (Concurrent List)
- अनुच्छेद 246 (3) – राज्य सूची (State List)
- अवशिष्ट शक्तियों का आधार : अनुच्छेद 248

संविधान में 5 ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ दी गई हैं, जब भारत की संसद (केंद्र सरकार) राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है

(1) राष्ट्रहित में राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर (अनुच्छेद 249)

यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत (2/3 majority) से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विशिष्ट विषय पर कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस पर कानून बना सकती है।

(2) राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होने पर (अनुच्छेद 250)

जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) लागू होता है, तब संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर पूरे देश या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने का सर्वाधिकार मिल जाता है।

(3) दो या अधिक राज्यों के आपसी सहमति (अनुरोध) पर (अनुच्छेद 252)

यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित करके संसद से यह अनुरोध करें कि वह राज्य सूची के किसी अमुक विषय पर उनके लिए कानून बनाए, तो संसद ऐसा कर सकती है।

(4) अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों को लागू करने के लिए (अनुच्छेद 253)

(5) किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर (अनुच्छेद 356)

NOTE

☆ **अनुच्छेद 254(1)** : यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधायिका द्वारा बनाया गया कानून, संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के विरोध या टकराव (repugnancy) में है, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून (संघीय कानून) ही मान्य होगा।

☆ **एक महत्वपूर्ण अपवाद (अनुच्छेद 254(2))** : यदि राज्य विधायिका द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया था और उसे राष्ट्रपति की सहमति (President's Assent) प्राप्त हो गई है, तो वह कानून उस विशेष राज्य में लागू रहेगा, भले ही वह संघीय कानून के विरोध में हो।

आठवीं अनुसूची (मान्यता प्राप्त भाषाएँ)	➤ संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाएँ → मूल रूप से 14 ➤ असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगू, उर्दू ➤ 21 वां संविधान संशोधन (1967) → सिंधी ➤ 71वां संविधान संशोधन (1992) : (NaMaK) → नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ➤ 92वां संविधान संशोधन (2003) : (BDM-S) → बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली	अनुच्छेद: 344(1) & 351

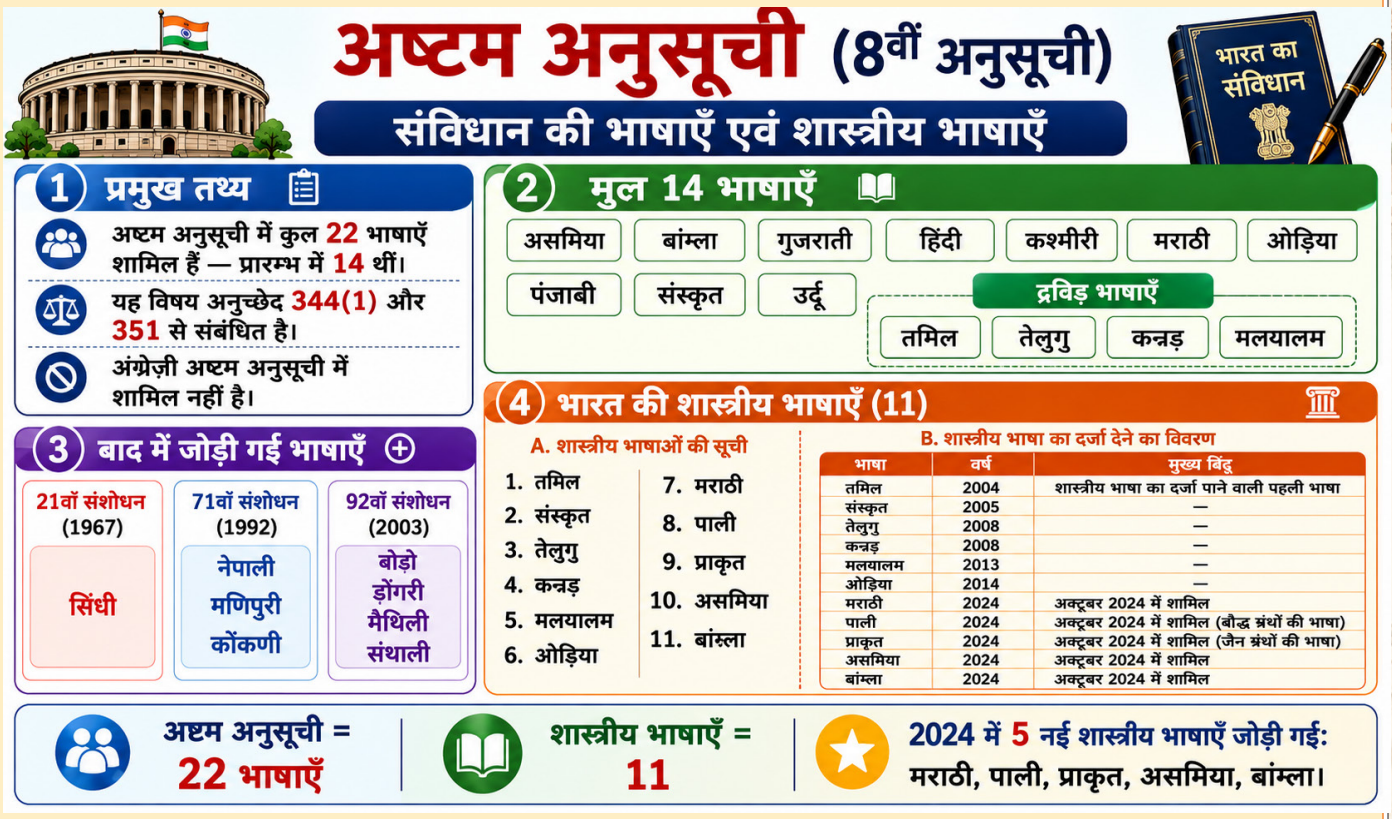

नौवीं अनुसूची (कुछ अधिनियम और विनियम)	➤ कुछ कानूनों को न्यायिक चुनौती से संरक्षण → प्रथम संविधान संशोधन (1951) ➤ मूल उद्देश्य → भूमि सुधार (Land Reforms) और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को अदालतों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती (Judicial Review) से बचाना था।	अनुच्छेद 31B

❖ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (24 अप्रैल 1973) → "संविधान के मूल ढांचे" का सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)
❖ आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) → 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाला गया कोई भी कानून न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) से मुक्त नहीं है।

दसवीं अनुसूची (दल-बदल निरोधक प्रावधान)	➤ दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) → 52वें संविधान संशोधन (1985) ➤ संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों को दलबदल के आधार पर अयोग्य ।	अनुच्छेद 102(2) & 191(2)
ग्यारहवीं अनुसूची (पंचायतें)	➤ पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ → 73वें संविधान संशोधन (1992) ➤ इसमें 29 विषय शामिल हैं (जैसे- कृषि, ग्रामीण विकास, पेयजल आदि)।	अनुच्छेद 243G
बारहवीं अनुसूची (नगरपालिकाएँ)	➤ नगरपालिकाओं की शक्तियाँ → 74वें संविधान संशोधन (1992) ➤ 18 विषय → शहरी योजना, जन स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएँ आदि	अनुच्छेद 243W

मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं।